

कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

-:विज्ञापन:-

क्रमांक/7404/जि.प./स्था./RGSA/2017

बलरामपुर, दिनांक.04/12/17

जिला पंचायत एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र बलरामपुर-रामानुजगंज अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रशिक्षण, बैठक आदि में चाय-नाश्ता/भोजन आदि की आवश्यकता हेतु कलेक्टर दर पर 04 रसोईया, 02 कुली एवं 04 रेजा श्रमिकों की आवश्यकता है। उक्त पदों पर अनुबंध हेतु जिले के स्थानीय अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 20/12/2017, दिन बुधवार तक कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.), पिन-497119" के पते पर आवेदन-पत्र जमा करेंगे।


क्र.	पदनाम	अनिवार्य योग्यता	वेतनमान
01	रसोईया	(1) कक्षा 08 वीं उत्तीर्ण। (2)रसोईया कार्य में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। (किसी भी शासकीय संस्था से) (3) श्रम विभाग में रसोईया का पंजीयन होना अनिवार्य।	कलेक्टर दर
02	रेजा/कुली	(1) कक्षा 05 वीं उत्तीर्ण। (2)श्रम विभाग में पंजीकृत महिला श्रमिक।	कलेक्टर दर

चयन हेतु प्रक्रिया:-

क्र.	पदनाम	चयन प्रक्रिया	विशेष
01	रसोईया	(1) कक्षा 08 वीं में प्राप्त प्रतिशत का कुल अंक का 75% अंक। (2)रसोईया कार्य में अनुभव का प्रतिवर्ष 05 अंक के हिसाब से अधिकतम 05 वर्ष कार्य के लिए 25 अंक देय होगा।	सभी प्रकार का व्यंजन बनाना आना चाहिए
02	रेजा/कुली	(1) कक्षा 05 वीं में प्राप्त प्रतिशत का कुल अंक का 75% अंक (2)कुली/रेजा कार्य में अनुभव का प्रतिवर्ष 05 अंक देय अधिकतम 05 वर्ष कार्य के लिए 25 अंक देय होगा। (श्रम कार्यालय के द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर)	


नियम एवं शर्त:-

मानदेय:- उपरोक्त पद हेतु प्रतिदिन के मान से निर्धारित कलेक्टर दर देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, पेंशन/उपादान या मृत्युलाभ इत्यादि नहीं दिया जायेगा। यह कोई शासकीय नौकरी नहीं है।



आयु सीमा:— उक्त पदों हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

अनुबंध की अवधि:— उक्त पदों पर अनुबंध सामान्यतः 01 वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं उक्त पदों पर अनुबंध व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर अनुबंध अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। किन्तु दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त की जा सकेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,


जिला पंचायत बलरामपुर—रामानुजगंज

बलरामपुर, दिनांक 04/12/17

पृ0 क्रमांक /7405 /स्था0 /जि.प. /2017

प्रतिलिपि:—

1. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला—बलरामपुर—रा.गंज को सूचनार्थ एवं जिले की वेब साईट www.balrampur.gov.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग, जिला बलरामपुर—रामानुजगंज को जिला स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत बलरामपुर—रामानुजगंज

—: आवेदन पत्र :-

प्रति,

स्वप्रमाणित फोटो
चस्पा करें

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत बलरामपुर—रामानुजगंज

1. पद का नाम.....
2. आवेदक का नाम :
3. पिता/पति का नाम :
4. जिले का निवासी : (हाँ/नहीं).....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें)
5. जाति (अजा/अजजा/पिवर्ग/अनारक्षित) :.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
6. लिंग :- (महिला/पुरुष/टांसजेण्डर)
7. जन्मतिथि :
8. आयु (01.07.2017 के अनुसार) :
9. स्थायी पता :
10. पत्र व्यवहार का पता :
11. दूरभाष/मोबाईल नम्बर (यदि कोई हो) :
12. शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांको का प्रतिशत

13. अनुभव-संस्था का नाम पद का नाम

अनुभव की अवधि	
अनुभव का कार्यक्षेत्र	

(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. विशेष योग्यता 1.

2.

15. श्रम कार्यालय का नाम :

एवं पंजीयन क्रमांक :

-:घोषणा प्रमाण पत्र:-

मैं पिता/पति जाति.....

उम्र.....निवासी.....तहसील.....जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र मेरे जानकारी व विवेक के अनुसार सत्य तथा प्रमाणित है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी व दस्तावेज असत्य, फर्जी व कूटरचित पाये गये तो अनुबंधकर्ता को मेरा अनुबंध निरस्त करने व आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)